अंतर्गत न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम सह विशेष न्यायाधीश। वैशाली, हाजीपुर।

आपराधिक पुनरीक्षण वाद सं0–200 / 2024.

सोनेलाल मिश्रा ..... आवेदक।

बनाम

(1) बिहार सरकार .....

(2) अरूण कुमार मिश्रा ..... विपक्षी।

Web Copy not Official

आदेश

17.04.2026

प्रस्तुत आपराधिक पुनरीक्षण वाद अनुमण्डल दण्डाधिकारी, महुआ, के द्वारा पारित आदेश दिनांक–07.10.2024 के विरूद्ध दाखिल की गयी है। पारित आदेश दिनांक 07.10.2024 मे अनुमण्डल दण्डाधिकारी, महुआ द्वारा वाद की कार्यवाही को 164 भा.ना.सु.सं. मे परिवर्तित किया गया है। उभय पक्ष उपस्थित है।

प्रस्तुत आपराधिक पुनरीक्षण वाद मे विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि विपक्षी सं0–2 द्वारा 163 भा.ना.सु.सं. हेतु आवेदन दाखिल किया गया जिस आवेदन पर महुआ पुलिस द्वारा दाखिल रिपोर्ट के आधार पर तत्कालीन अनुमण्डल दण्डाधिकारी, महुआ द्वारा 163 भा.ना.सु.सं. का प्रकिया करते हुए सम्मन निर्गत किया गया जिसपर उभय पक्ष उपस्थित हुआ तथा दिनांक 07.10.2024 को 163 भा. ना.सु.सं. को 164 भा.ना.सु.सं. मे परिवर्तित कर दिया गया। उक्त अनुमण्डल दण्डाधिकारी का आदेश अवैद्यानिक है और बिना किसी आधार का है। अनुमण्डल दण्डाधिकारी, महुआ द्वारा इस तथ्य पर ध्यान नही दिया गया कि विपक्षी सं0–2 द्वारा टाईटल सुट 923 / 2022 दाखिल किया गया है। आगे निवेदन किया गया कि पारित आदेश दिनांक 07.10.2024 को रद्द किया जाए।

विपक्षी बिहार सरकार द्वारा आवेदक के उक्त आवेदन का विरोध किया गया तथा विपक्षी सं0–2 की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि विवादित भूमि खाता नं0–32, खेसरा नं0–1420, रकबा 26¼ डी0 मे अनुमण्डल दण्डाधिकारी, महुआ द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.10.2024 वैद्याानिक एवं संपुष्ट करने योग्य है। आगे अनुरोध किया गया कि प्रस्तुत आपराधिक पुनरीक्षण वाद खारिज किया जाए।

अंतर्गत न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम सह विशेष न्यायाधीश। वैशाली, हाजीपुर।

आपराधिक पुनरीक्षण वाद सं0–200 / 2024.

प्रस्तुत आपराधिक पुनरीक्षण वाद मे उभय पक्षो को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि अनुमण्डल दण्डाधिकारी, महुआ के द्वारा अपने आदेश मे कहा गया कि दोनो पक्षो के विद्वान अधिवक्ताओ का बहस सुनने एवं थानाध्यक्ष पातेपुर के प्रतिवेदन तथा अभिलेख मे संलग्न कागजातो का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि विवादित भूमि को लेकर उभय पक्षो के बीच काफी तनाव चल रहा है तथा नया निर्माण कार्य किये जाने को लेकर बलवा की संभावना बनी हुयी है। यद्यपि दोनो पक्षो के द्वारा अपने दावे के समर्थन मे अपना पक्ष एवं कागजात समर्पित किया गया है परंतु विवादित भूमि पर शांति व्यवस्था बनाए रखने एवं न्याय निर्णय हेतु वाद मे गहन जॉच एवं कार्यवाही आगे संचालन किये जाने की आवश्यकता है। अतः प्रस्तुत वाद की कार्यवाही को धारा 164 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता मे परिवर्तित किया जाता है। इस संबंध मे न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, महुआ का आदेश फलक भी संलग्न किया गया है। पुनरीक्षण मे मुख्य रूप से न्यायालय को यह निर्धारित करना है कि क्या न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी महुआ के उपरोक्त आदेश मे कोई असत्यता, अवैधता या औचित्य की कमी है। इस संबंध मे धारा 164 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के विधिक प्रावधानो का अध्यन करने पर पाते है कि यह धारा भूमि या जल से संबंधित विवाद से शांति भंग होने की संभावना होने पर अपनायी जाने वाली प्रक्रिया को अधिकथित करती है। इस धारा के अनुसार जब भी किसी कार्यपालक दण्डाधिकारी को किसी पुलिस अधिकारी के रिपोर्ट या अन्य सूचना से यह संतुष्टि हो जाती है कि उसके स्थानीय अधिकार क्षेत्र मे किसी भुमि या जल या उसकी सिमाओ के संबंध मे कोई ऐसा विवाद मौजूद है जिससे शांति भंग होने की संभावना है तो वह लिखित मे एक आदेश जारी करेगा जिसमे उसके इस संतुष्ठि के आधार बाताए जायेगे। अभिलेख मे उपस्थित आदेश का अवलोकन करते है तो पाते है कि अनुमण्डल दण्डाधिकारी, महुआ ने धारा 164 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता मे विहित प्रक्रिया का पालन किया है और उसे यह अधिकार भी है कि यदि कोई विवाद भुमि या जल से संबंधित है तो वह धारा 164 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अधीन आदेश पारित कर सकता है। अतः संपुर्ण तथ्यो के विश्लेषण से स्पष्ट है कि अनुमण्डल दण्डाधिकारी, महुआ के द्वारा पारित आदेश मे कोई भी अवैधता नही है इसलिए पुनरीक्षण आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है, फिर भी आगे कोई आदेश

Web Copy Not Official

अंतर्गत न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम सह विशेष न्यायाधीश। वैशाली, हाजीपुर।

आपराधिक पुनरीक्षण वाद सं0–200 / 2024.

पारित करने के पुर्व अनुमण्डल दण्डाधिकारी, महुआ वर्तमान मे उपस्थित परिस्थिति को ध्यान मे रखते हुए कोई भी आदेश पारित करेगें क्योकि यह आदेश दिनांक 07.10.2024 अर्थात काफी पूर्व मे पारित किया गया था और किसी भी पक्षकार ने सुनवाई के दौरान यह नही बताया कि आदेश के पश्चात कोई भी दंगा या बलवा उपरोक्त मे से किसी भी पक्षकार द्वारा किया गया था।

लेखापित

(मनोज कुमार तिवारी)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम
सह विशेष न्यायाधीश।
वैशाली, हाजीपुर।

Web Copy not Official

Date of Judgment/Order	17-04-2026
Date of Reserving Judgment/Order	17-04-2026
Uploading Date	30-04-2026
Uploaded by	Pankaj Kumar